सत्यमेव जयते
WEB COPY - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रकरण सं0 02/11

तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राधेश्याम अरोडा (एम.एल.ए.) पुत्र हरदयाल अरोडा, जाति अरोडा, निवासी 82 जी ब्लॉक, श्री गंगानगर।
2. घन्नी पत्नी धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी चक 2 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के कायम मुकाम

2/1 मेनादेवी पत्नी जसवन्त सिंह जाति मेघवाल निवासी आढावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0

2/2 संतरो पत्नी राजूराम जाति मेघवाल निवासी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

2/3 वीरपाल कौर उर्फ सरोज पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी चक 1 पी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 232 राज0 काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 82 भू0 राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी स्टेट की ओर से
2. श्री प्रदीप सिंहाग, अधिवक्ता, अप्रार्थी 01 ओर से।
3. श्री जसराम टाक, अधिवक्ता , अप्रार्थीगण 02 की ओर से।

आदेश **दिनांक : 12.02.2018**

स्टेट द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 सपठित भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसील श्री गंगानगर के चक 2 एम एल के मु0 नं0 54 के कि0 नं0 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.036 है0 भूमि रेकार्ड में अप्रार्थी के नाम से दर्ज है। उपरोक्त भूमि पूर्व में बाबा मुवाशीनाथ धर्माथ हरद्वारीनाथ के नाम दर्ज थी जिसके विरूद्व सीलिंग की कार्यवाही सन् 1971 में प्रारम्भ की गई । बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट के नाम 519.12 बीघा जमीन राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जबकि सीलिंग लिमिट 46 बीघा 8 बिस्वा थी। ट्रस्ट ने सीलिंग न्यायालय के समक्ष आवेदन कियाए कि उसकी जमीन 20 सब टिनेन्ट के कब्जे में वर्ष 1955 से पूर्व चली आ रही थी। अतः भूमि उन्हीं के नाम दर्ज कर दी जावे। इस पर सीलिंग न्यायालय ने जमीनें सभी सब टिनेन्स के नाम अलॉटमैन्ट करने के आदेश दे दिये और विवादित भूमि धन्नाराम पुत्र नादर के नाम दर्ज हो गई क्योंकि वो भी वादग्रस्त भूमि में ट्रस्ट का सब टिनेन्ट था! सीलिंग न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 11.07.1974 को पारित किया गया जिसमें सभी अलॉटीज को यह निर्देश दिये गये थे कि 25000/– रूपये 12 किश्तों में प्रतिवर्ष जमा करवायेंगें। उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में गलती से भूमि धन्ना वल्द नादर के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गई जबकि उपरोक्त भूमि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के सभी किश्तें जमा होने के बाद ही खातेदारी दर्ज की जा सकती थी। अलॉटी धन्ना ने सिर्फ दो किश्तें ही जमा करवाई थी और बाद में उपरोक्त भूमि मुवाशीनाथ ट्रस्ट को जरिये समर्पण पत्र दिनांक 02.5.1988 के द्वारा समर्पित कर दी गई, जिसे समर्पित करने का अलॉटी को कोई हक व अधिकार नहीं था क्योंकि भूमि की खातेदारी धन्ना को प्राप्त नहीं हुई थी और समर्पण सिर्फ काश्तकार द्वारा सरकार के पक्ष में ही किया जा सकता है एवं यदि समपर्ण को वैध भी मान लें तो ट्रस्ट के नाम पहले से ही सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण जमीन रिज्यूम की गई थी तो बाद में आई भूमि भी सीलिंग में रिज्यूम होकर सरकारी भूमि दर्ज किये जाने योग्य है किन्तु उपरोक्त सभी तथ्यों को छुपाकर न्यायालय उपजिलाधीश श्री गंगानगर से दिनांक 23–5–88 को धारा 136 के प्रार्थना पत्र में बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट ने अलॉटी धन्नाराम के समर्पण पत्र के आधार पर भूमि अपने नाम करवाने के आदेश प्राप्त कर लिये। उपरोक्त भूमि के संबंध में सीलिंग कार्यवाही रि–ओपन होकर दिनांक 26–9–94 को अति0 जिला कलक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसमें भी उपरोक्त ट्रस्ट में भूमि धन्ना की बताई थी जबकि ट्रस्ट द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान अप्रार्थी राधेश्याम को 1989 में ही कर दिया था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि गलत रूप से पहले बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट के नाम और उसके बाद अप्रार्थी राधेश्याम के नाम न्यायालय को गुमराह कर, तथ्यों को छुपा कर सरकारी भूमि हड़पने की नियत से दर्ज कर दी गई जबकि उपरोक्त भूमि सरकारी भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य है। इस प्रकार निवेदन किया है कि उपरोक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में रकबा राज दर्ज करने हेतु माननीय मण्डल में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। धन्नी की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर उन्हें भी अपना पक्ष रखने के लिए उसके निवेदन पर और चाहे अनुसार पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 08.02.2012 को नोटिस का जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित बिन्दु सिलिंग न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.1974 को पारित आदेश का जो वर्णन इस चरण में दिया है उसको रेफरेन्स का आधार नहीं बनाया जा सकता चूंकि सिलिंग अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जिसके अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार विशेष आदेश से करती है और यह पद डेजिगेनेटिड पोस्ट कहलाती है। ऐसे अधिकारी श्रीमान जी (जिलाधीश) की अधीनस्थ अदालत नहीं है और ना ही यह अधिकारी श्रीमानजी ने अधीनस्थ अधिकारी कहलाऐंगे। यदि ऐसा कोई विशेष न्यायलय द्वारा पारित आदेश कानून के विपरीत है तो उसमें अपील का प्रावधान हेता है और जरिये अपील ही पीडित पक्षकार अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित धन्नाराम के द्वारा जरिये समर्पण पर अपनी कृषिभूमि का 02.05.1988 को ट्रस्ट के पक्ष में किया गया है इसको भी रेफरेन्स का बिन्दु नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि श्रीमानजी के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है केवल धन्नाराम ने अपना कृषिभूमि में जो अधिकार था उसका समर्पण ट्रस्ट के पक्ष में किया था इस समर्पण पत्र को रेफरेन्स के जरिये चुनौती नहीं दी जा सकती। इस

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

चरण में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत जो राधेश्याम के पक्ष में इन्तकाल का जो आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर से प्राप्त किया , इस आदेश का रेफरेन्स श्रीमानजी के यहां किया गया। यह आदेश जरिये मिसल नम्बर 80/96 धन्नाराम बनाम मोसिना ट्रस्ट आदि दर्ज होकर दिनांक 04.09.2000 को निर्णित हो गया और रेफरेन्स करने बाबत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। इसलिए पुनः इसी निर्णय को आधार बनाकर पुनः रेफरेन्स नहीं किया जा सकता। सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 के अनुसार पूर्ण निर्णय (रेसज्यूडिकेटा) होने के कारण यह रेफरेन्स सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य सिलिंग कार्यवाही रिओपन होकर अतिरिक्त जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.1994 के निर्णय को भी रेफरेन्स का आधार बताया गया है। अतिरिक्त कलक्टर, श्रीगंगानगर श्रीमानजी, के समकक्ष अधिकारी द्वारा पारित निर्णय है। अधीनस्थ अधिकारी नहीं होने के कारण यह रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स योग्य नहीं होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सख्या 02 के विधिक **प्रतिनिधि** के अधिवक्ता ने दिनांक 14.11.2013 को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वर्तमान में वाके चक 2 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.036 है0 रकबा दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 बाबा भुंवासीनाथ ट्रस्ट के विरूद्व वर्ष 1971 में सीलिंग कार्यवाही चली जिसमें 46.08 बीघा अराजी को छोडते हुए 519 बीघा 12 बिस्वा को काटते हुए शेष आराजी को 1955 के पूर्व काश्तकारों को आवंटन की गई जिसमें दिनांक 11.07.1974 को अप्रार्थीया घन्नी के पति धन्नाराम को मुरब्बा नम्बर 54/19 की 25 बीघा भूमि आवंटन की गई थी जिसकी प्रथम किश्तें जमा करवा दी थी। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 स्वीकार नहीं है, चूंकि समर्पण पत्र के आधार पर किया गया राजस्व रिकार्ड में प्रथमतय शून्य Void Abnatio है। समर्पण पत्र से सिर्फ भूमि धारक के हक में ही समर्पण किया जा सकता है, किसी प्राईवेट व्यक्ति के हक में नहीं, द्वितीय चूंकि ट्रस्ट के हक में पूर्व में 46.08 बीघा शेष आराजी थी, इसलिए समर्पण पत्र से आराजी प्राप्त ही नहीं की जा सकती। तृतीय धन्नाराम जाति से हरिजन होने के कारण काश्तकारी अधिनियम के नियम विरूद्व ट्रस्ट के नाम इन्द्राज विधि विरूद्व है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 इस हद तक स्वीकार है कि सीलिंग की रिओपन कार्यवाही में धन्नाराम की जगह अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल किया गया है जो कि गलत है और प्रथमतः ही शून्य है। अतः जबाब रेफरेन्स में अप्रार्थी संख्या 02 के हितों को ध्यान में रखते हुए रेफरेन्स की कार्यवाही राजस्व मण्डल अजमेर में प्रेषित की जावें।

राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थी के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा गया है कि तहसील श्री गंगानगर के चक 2 एम एल के मु0 नं0 54 के कि0 नं0 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.036 है0 भूमि रेकार्ड में अप्रार्थी सख्या 01 राधेश्याम के नाम से दर्ज है। उपरोक्त भूमि पूर्व में बाबा मुवाशीनाथ धर्माथ हरद्वारीनाथ के नाम दर्ज थी जिसके विरूद्व सीलिंग कानून के तहत कार्यवाही सन् 1971 में प्रारम्भ की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गई । बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट के नाम 519.12 बीघा जमीन राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जबकि सीलिंग सीमा 46 बीघा 8 बिस्वा थी। ट्रस्ट ने प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर न्यायालय के समक्ष आवेदन किया कि उसकी जमीन 20 सब टिनेन्ट के कब्जे में वर्ष 1955 से पूर्व चली आ रही थी। अतः भूमि उन्हीं के नाम दर्ज कर दी जावे। इस पर प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर न्यायालय ने जमीनें सभी सब टिनेन्स के नाम अलॉटमैन्ट करने के आदेश दे दिये और विवादित भूमि धन्नाराम के नाम दर्ज हो गई क्योंकि वो भी वादग्रस्त भूमि में ट्रस्ट का सब टिनेन्ट था। प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 11.7.74 को पारित किया गया जिसमें सभी अलॉटीज को यह निर्देश दिये गये थे कि 25000/– रूपये 12 किश्तों में प्रतिवर्ष जमा करवायेंगें। उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य **में गलती से भूमि धन्ना के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गई जबकि उपरोक्त भूमि के सभी किश्तें जमा होने के बाद ही खातेदारी दर्ज की जा सकती थी। अलॉटी धन्ना** ने सिर्फ दो किश्तें ही जमा करवाई थी और बाद में उपरोक्त भूमि मुवाशीनाथ ट्रस्ट को जरिये समर्पण पत्र दिनांक 2.5.88 के द्वारा समर्पित कर दी गई, जिसे समर्पित करने का अलॉटी को कोई हक व अधिकार नहीं था क्योंकि भूमि की खातेदारी धन्ना को प्राप्त नहीं हुई थी और समपर्ण सिर्फ काश्तकार द्वारा सरकार के पक्ष में ही किया जा सकता था और यदि सम्पर्ण को वैध भी मान लें तो ट्रस्ट के नाम पहले से ही सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण जमीन रिज्यूम की गई थी तो बाद में आई भूमि भी सीलिंग में रिज्यूम होकर सरकारी भूमि दर्ज किये जाने योग्य है किन्तु उपरोक्त सभी तथ्यों को छुपाकर न्यायालय उपजिलाधीश श्री गंगानगर से दिनांक 23–5–88 को धारा 136 के प्रार्थना पत्र में बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट ने अलॉटी धन्नाराम के समपर्ण पत्र के आधार पर भूमि अपने नाम करवाने के आदेश प्राप्त कर लिये। उपरोक्त भूमि के संबंध में सीलिंग कार्यवाही रि–ओपन होकर दिनांक 26–9–94 को अति0 जिला कलक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसमें भी उपरोक्त ट्रस्ट में भूमि धन्ना की बताई थी जबकि ट्रस्ट द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान अप्रार्थी को 1989 में ही कर दिया गया था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पहले बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट के नाम और उसके बाद अप्रार्थी के नाम न्यायालय को गुमराह कर, तथ्यों को छुपा कर सरकारी भूमि हड़पने की नियत से दर्ज कर दी गई जबकि उपरोक्त भूमि सरकारी भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य है। इस प्रकार निवेदन किया है कि उपरोक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में रकबा राज दर्ज करने हेतु माननीय मण्डल में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 श्री राधेश्याम के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी को जो नोटिस दिया गया है उसमें रेफरेन्स का कोई आधार अंकित नहीं किया गया है। परन्तु रेफरेन्स हेतु तहसीलदार ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें यह बिन्दु उठाया गया है कि सरकार बनाम बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट, के विरूद्व सिलिंग कार्यवाही सन् 1971 में प्रारम्भ की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 11.07.1974 को किया जाना बतलाया है जिसमें तहसीलदार ने यह व्यक्त किया कि इस निर्णय में जो भूमि घन्नाराम नाम व्यक्ति को अलाट की गई थी उसकी किस्ते बाकी थी और यही भूमि दिनांक 02.05.1988 को घन्नाराम नामक व्यक्ति ने तहसीलदार के यहां जरिये समर्पण पत्र समर्पित कर दी थी यहां ये विशेष

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रूप से विचारणीय बिन्दू है कि सिलिंग अधिनियम के अन्तर्गत जो निर्णय होता है वह एक विशेष अधिनियम है और विशेष डेजिगेनेटिड पोस्ट पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार विशेष आदेश से करती है। ऐसे अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय जिलाधीश की अधीनस्थ अदालत के श्रेणी में नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित व चरण सख्या 3 में वर्णित तथ्य के विषय में रेफरेन्स नहीं किया जा सकता है। इस मत की पुष्टि आर.आर.डी. 1981 पेज–137 के सिद्वान्त से होती है। धन्नाराम द्वारा समर्पण पत्र के जरिये अपनी कृषि भूमि ट्रस्ट के पक्ष में दिनांक 02.05. 1988 को किया गया समर्पण रेफरेन्स का बिन्दू नहीं बन सकता है क्योंकि समर्पण पत्र केवल धन्नाराम ने ट्रस्ट को किया जो किसी भी तरह से अधिनस्थ द्वारा पारित आदेश निर्णय की श्रैणी में नहीं आता **यह भूमि मुवाशीनाथ ट्रस्ट द्वारा राधेश्याम पुत्र हरदयाल जाति अरोडा को जिलाधीश महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.03.1989 को होने के बाद जरिये विक्रय पत्र राधेश्याम ने खरीद की है**, और बैयनामा के आधार पर राधेश्याम के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ है और उक्त इंतकाल को निरस्त करने के लिए पूर्व में **रेफरेन्स किया गया था यह रेफरेन्स जरिये मिसल नम्बर 80/96 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.09.2000 को निरस्त कर दिया गया। इसलिए पुनः इसी कृषिभूमि के सम्बन्ध में रेफरेन्स रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।** तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.1994 में सीलिंग कार्यवाही रिओपन होकर जो निर्णय दिया गया उसे भी रेफरेन्स का आधार बनाया है इस निर्णय को भी सीलिंग कानून विशेष अधिनियम होने के कारण आर.आर.डी. 1981 पेज–137 के अनुसरण में रेफरेन्स योग्य नहीं है। तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स धन्नाराम व उसकी पत्नी धन्नीदेवी के नाम वर्णित भूमि के सम्बन्ध में रेफरेन्स करने के लिए निवेदन किया इस सम्बन्ध में धन्नीदेवी ने जवाब रेफरेन्स के प्रार्थना पत्र में चरण संख्या 6 में यह कथन किया है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में स्वत्व के अधिकारों का वाद जेरकार है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 हाजिर है। जब विवादित भूमि का वाद–पत्र किसी सक्ष्म न्यायालय में लम्बित होता है तो रेफरेन्स का बिन्दु विचारण योग्य नहीं होता है इस मत की पुष्टि आर.आर.टी. 2013 (2) पेज– 1301 द्वारा होती है जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि जब नियमित वाद विचाराधीन हो तो रेफरेन्स की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उपरोक्त आर.आर.टी. 2013(2) पेज–1301 में यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि रेफरेन्स असाधारण देरी से जो पेश किया जाता है उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। रेफरेन्स अत्यधिक विलम्ब से लगभग 20 वर्षो के पश्चात पेश किया गया है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है अप्रार्थी राधेश्याम को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है जिसको लगभग 27–28 वर्ष हो चुके है। खातेदारी को अत्यधिक विलम्ब के पश्चात रेफरेन्स के माध्य से चुनौती नहीं दी जा सकती है जिसकी पुष्टि उपरोक्त न्याय दृष्टांत की छाया प्रति से होती है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सव्यक निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 02 धन्नीदेवी के विधिक वारिसान के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 एम.एल. के मु.न. 19/54 के कि0 नं0 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कुल 3.036 हैक्टर कृषि भूमि रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 राधेश्याम अरोडा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में बाबा मुवाशीनाथ धमार्थ के नाम दर्ज थी, जिसके विरूद्व सीलिंग कार्यवाही सन् 1971 में प्रारम्भ की गई, बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट के नाम 519.12 बीघा जमीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी , जबकि सीलिंग लिमिट 46.08 बीघा थी। उक्त ट्रस्ट ने सीलिंग न्यायालय के समक्ष आवेदन किया कि उसकी जमीन 20 लोग जो उक्त जमीन पर सबटिनेन्टस है जिनके कब्जे में है, जो कब्जा 1955 से पूर्व चला आ रहा है, जो उन्ही सब टिनेन्टस के नाम दर्ज कर दी जावे, जिस पर सीलिंग न्यायालय ने जमीन सभी सब टिनेन्टस के नाम अलाटमेन्टस करने के आदेश दिये और विवादित कृषि भूमि धन्नाराम पुत्र नादर जाति मेघवाल के नाम दर्ज हो गई, क्योंकि वो भी वादग्रस्त भूमि में उक्त ट्रस्ट का सबटिनेन्ट था, सीलिंग न्यायालय द्वारा उपर वर्णित आदेश दिनांक 11.07.1974 को पारित किया गया, जिसमें सभी एलाटीज को यह डायरेक्शन दी गई कि वे 25000/–रूपये बारह किश्तों में प्रतिवर्ष जमा करवायेगें और **किश्ते पूरी** होने के बाद ही उन्हें खातेदारी दी जावेगी। उपरोक्त आदेश के परिपेक्ष में **गलती से उक्त भूमि घन्ना पुत्र नादर के नाम जो मेधवाल जाति का था, खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई, जबकि उपर वर्णित भूमि की सभी किश्ते जमा होने के पश्चात् ही खातेदारी दर्ज की जा सकती थी,** अलाटी धन्ना ने सिर्फ दो किश्ते ही जमा करवाई थी और बाद में उपरोक्त भूमि बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट 2 एम.एलत्र हरद्वारीगढ को जरिए समर्पण पत्र दिनांक 02.05.1988 के द्वारा समर्पित कर दी जिसे समर्पित करने का अलांटी धन्ना मेधवाल को कोई हक व अधिकार नहीं था, क्योंकि उक्त भूमि विवादित की खातेदारी घन्ना को प्राप्त नहीं हुई थी और सम्पर्ण सिर्फ काश्तकार आलाटी द्वारा सरकार के पक्ष में किया जा सकता है और सम्पर्ण अगर वैध भी मान लो तो ट्रस्ट के नाम पहले से ही भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण जमीन सीलिंग में रिज्यूम की गई थी, इस प्रकार बाद में सम्पर्ण के माध्यम से विवादित भूमि भी सीलिंग में रिज्यूम होकर सरकारी भूमि दर्ज किये जाने योग्य है, किन्तु उपरोक्त सभी तथ्यों को छुपाकर न्यायालय उपजिलाधीश गंगानगर से दिनांक 23.05.1988 को धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र में बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट 2 एम.एल. हरद्वारी गढ ने तथा बाद में अप्रार्थी संख्या 1 राधेश्याम एवं अप्रार्थीया संख्या 2 घन्नी ने उक्त रेफरेन्स में अलग–अलग अपने–अपने जवाब रेफरेन्स प्रस्तुत किये तथा बाद में धन्नी की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान भागाराम वगैरा को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 मृतका धन्नी के स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 02 के रूप में पक्षकार बनाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण 2 ने निम्नलिखित न्यायालय निर्णय/ दृष्टांत पेश किये:–

1. संयुक्त निर्देश (Reference) हो सकेगा :– रामदयाल बनाम राजस्थान राज्य 1977 आर.आर.डी. 558 (पैरा–4) में राजस्व मण्डल अजमेर ने यह मत प्रकट किया है कि एक से अधिक आदेश व निर्णयों का एक साथ ही Reference किया जा सकता है, इसलिए अलाटी धन्ना मेधवाल द्वारा विवादित कृषि का समर्पण पत्र दिनांक 02.05.1988 जो ट्रस्ट के हक में किया है तथा इस समपर्ण पत्र के आधार पर मुवासीनाथ ट्रस्ट के हक में उप जिलाधीश गंगानगर के द्वारा 136 एल.आर.एक्ट में अपने आदेश द्वारा भूमि ट्रस्ट के नाम कर दी तत्पश्चात उक्त भूमि ट्रस्ट द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 राधेश्याम को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

1989 में बेचान कर दी उक्त भूमि के बेचान की स्वीकृति –बेचान पर राधेश्याम के नाम दर्ज इंतकाल वगैरा जिनका रिकार्ड पत्रावली पर सलंग्न है उक्त सभी कार्यवाहियों का एक साथ संयुक्त रूप से इस मद में उपर वर्णित नजीर रामदयाल बनाम राजस्थान राज्य 1977 आर.आर.डी. 558 (पैरा–4) की रोशनी में (Reference) निर्देश किया जा सकता है, इसलिए संयुक्त Reference का आदेश फरमाया जावे।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 जब लागू नही :–

(ए) कलैक्टर द्वारा निर्देश धारा (232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) :– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरूद्व कलैक्टर राजस्व मण्डल को निर्देश (Reference) कर सकता है, ऐसी सीमा तक धारा 11 सीपीसी के उपबन्ध लागू नहीं होगे, और ये कार्यवाहियों धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा शासित होगी।

<u>संवदा बनाम राजस्थान राज्य</u>
<u>1994 आर.आर.डी. 1986 खण्डपीठ राजस्थन उच्च न्यायलय</u>

(बी) Resjudicata का सिद्वांत ऐसे मामलों में लागू होता है जहां उसी वाद हेतुक के लिए उन्ही पक्षकारों के बीच में व्यादेश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो। जहां तक मौजूदा रेफरेन्स का प्रश्न है, तो इस रेफरेन्स से पहले स्टेट के द्वारा, अप्रार्थी संख्या 1 राधेश्याम अरोडा व अप्रार्थीया संख्या 2 धन्नी के विरूद्व धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कलैक्टर श्रीगंगानगर या अन्य किसी न्यायालय में न तो कोई रेफरेन्स किया गया है, तथा ना ही कोई रेफरेन्स निर्णित हुआ है, ना ही ऐसे किसी Reference एवं उस पर जारी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 1 राधेश्याम द्वारा पत्रावली में पेश की है।

(सी) यह कि रमेशचन्द्र बनाम शिवचरणदास तथा अन्य ए आई आर 1991 एस.सी. पेज 264 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया है कि जहां प्रकरण प्रारम्भिक निष्कर्ष व जांच का हो तथा न्यायालय के समक्ष न तो अभिवचन (वाद पत्र) हो तथा ना ही प्रकरण में कोई साक्ष्य में किन्ही गवाहन का साक्ष्य अधिनियम के तहत परीक्षण हुआ है , तो उस दशा में ऐसे प्रकरण में Resjudicata का सिद्वांत लागू नहीं होगा, इसी प्रकार से मौजूदा प्रकरण (Reference) जो श्रीमानजी के समक्ष जेरकार है, यह सिर्फ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत एक प्रार्थना पत्र के सिवाय अन्य न तो कोई वाद पत्र है ना ही इसमें दोनों पक्षो के किन्ही साक्षीगण को पेश कर उनका परीक्षण हुआ है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र है जिसकी प्राथमिक तौर पर जांच कर प्रकरण को विस्तृत कार्यवाही हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को उचित फैसला हेतु प्रेषित करना है, इसलिए इस की Reference कार्यवाही में Resjudicata का सिद्वांत लागू नहीं होता है।

<u>आर.आर.डी. 1991 स्टेट ऑफ राज0 बनाम एल.आर.एस Duda Ram & Ors. पेज–5</u>

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ए.आई.आर. 1991 एस.सी. पेज–264

3. नवीन सीलिंग विधि में निर्देश (Reference) :–धारा 15(2) सीलिंग विधि में मामले को वापस खोलने या अपील करने के प्रावधान द्वारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्देशा (Reference) का उपचार वर्जित नहीं है।

राज्य बनाम लालचन्द आर.आर.डी–488

4. समझौता डिक्री :– एक अभिधारी (काश्तकार) जो अ.जा./ज. जा. का सदस्य है, उसकी कृषि भूमि पर समझौता या सहमति के आधार पर स्वर्ण जाति का कोई भी सदस्य खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है, ऐसे समझौतों के विरूद्व धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होती है तथा ऐसे समझौते के आधार पर जारी डिक्री खारिज कर निर्देश स्वीकार किया गया। इसी तरह से श्रीमान न्यायालय के समक्ष मौजूदा (Reference) निर्देश से सम्बंधित विवादित भूमि को अलांटी धन्ना जो मेधवाल जाति का सदस्य था ने अपनी सहमति से उक्त भूमि को मुवासीनाथ ट्रस्ट के संचालक रघुवीर नाथ/ रतीनाथ जाति जाट को समर्पण पत्र से दिनांक 02.05.1988 को समर्पित कर दी है। उक्त समझौता सम्पर्ण पत्र धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैद्य है तथा उक्त समर्पण पत्र के आधार पर ट्रस्ट को मिले खातेदारी अधिकार भी अवैध है। Reference स्वीकार किया जावे।

राज्य बनाम मोती 1993 आर.आर.डी.22

राज्य बनाम ढोलिया के विधिक प्रतिनिधि 1996 आरआरडी पेज–75

5. भू–राजस्व अधिनियम 82 के अधीन निर्देश :– धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित (Limitiation) परिसीमा असंगत :– **राजस्व प्रशासन का कर्तव्य**–जब एक अनुसूचित जाति के अभिधारी ने अपनी जोत स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अन्तिरित (Transfer) कर दी तो इसके नामान्तरण को अपास्त करने के लिए अपर कलैक्टर ने निर्देश किया , धारा 82 के तहत निर्देश करने के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं है, अतः धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लिए दी गई समय सीमा असंगत है, धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम समाज के कमजोर वर्ग के सरंक्षण के लिए है, और राजस्व प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह अवैधताओं को खोज कर उनको सही करे। इस प्रकार से आवंटी धन्ना मेधवाल द्वारा विवादित भूमि का Transfer सर्वप्रथम मुवासीनाथ ट्रस्ट व उसके बाद उक्त ट्रस्ट द्वारा , अप्रार्थी संख्या 1 राधेश्याम के हक में किया गया Transfer राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानोंनुसार अवैध है, जिसके विरूद्व निर्देश करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है।

राजस्थान सरकार बनाम गंगाराम

1978 आर.आर.डी. 1 फुल बैंच

6. निर्देश का महत्व :– धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उदेश्य निचले न्यायालय द्वारा की गई अनियमितताओं को सही करना है, किन्तु यह गुणावगुण पर उस वाद की खारिज नहीं है, वाद के

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अन्तिम निपटारे के लिए पुनः विचारण करना आवश्यक है– मामला प्रतिप्रेषित किया गया।

राजस्थान राज्य बनाम ख्यालीराम 1995 आर.आर.डी. 733

7. चारागाह भूमि का नियमितीकरण :– यदि कपट द्वारा आदेश प्राप्त किया गया है तो उसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपबंध अपील के उपबन्धों से स्वतंत्र है, निर्देश स्वीकार किया गया, न्यायालय के समक्ष मौजूदा निर्देश से सम्बन्धित विवादित भूमि समर्पण पत्र ट्रस्ट के पक्ष में व उसके बाबत खातेदारी व बाद में उक्त भूमि के बेचान की स्वीकृति राधेश्याम के पक्ष में प्राप्त करना व राधेश्याम द्वारा खरीद एवं अपने पक्ष में इंतकाल वगैरा की सभी कार्यवाहियों एवं आदेश कपट द्वारा प्राप्त किये गये है। इस प्रकार से विवादित भूमि जो सरकारी भूमि दर्ज होनी चाहिए थी, को राधेश्याम अरोडा वगैरा ने कपट से अपने नाम दर्ज करवाकर सरकार को करोडों रूपये की हानि पहुंचाई है।

राजस्थान सरकार बनाम फतेह सिंह 1997 आर.आर.डी. 138

8. नामान्तरण को रदद् करने के निर्देश (Reference) :– अलाटी धन्ना मेधवाल ने विवादित कृषि भूमि को सर्वप्रथम मुवासीनाथ ट्रस्ट के नाम समर्पण कर दी जिसके आधार पर उक्त ट्रस्ट के द्वारा उपजिलाधीश श्रीगंगानगर के न्यायालय में 136 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर खातेदारी का आदेश प्राप्त किया। तत्पश्चात् ट्रस्ट ने उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 राधेश्याम अरोडा के पक्ष में बेचान रजिस्ट्री करवा दी जिसके आधार पर दूसरे इंतकाल से भूमि राधेश्याम के नाम दर्ज हो गयी ।

राजस्थान सरकार बनाम गंगाराम आर.आर.डी. पेज–1

में राजस्व मण्डल अजमेर की फुल बैंच ने निर्णय में यह मत प्रकट किया है कि नामान्तरण के विरूद्व धारा 232 के तहत निर्देश किया जा सकता है।

9. निर्देश जब स्वीकार किये गये :–

अलाटी धन्ना जाति मेधवाल अनुसूचित जाति का सदस्य था तथा मुवासीनाथ ट्रस्ट का संचालक रतीनाथ व रधुवीरनाथ जाति जाट व अप्रार्थी राधेश्याम अरोडा दोनों ही स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। इस प्रकार से उक्त अलांटी धन्ना द्वारा विवादित भूमि का प्रथमतः ट्रस्ट के हक में ट्रासफर एवं बाद में उक्त भूमि को ट्रस्ट द्वारा राधेश्याम अरोडा के पक्ष में ट्रांसफर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की घारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उक्त ट्रांसफर रजिस्ट्री व इंतकाल शून्य है। तथा कानूनी एवं तकनीकी आधार पर भी ट्रस्ट एवं राधेश्याम के पक्ष में आदेश खरीद व इंतकाल टिक नहीं सकते है, दोनो के पक्ष में आदेश तकनीकी आधार पर अवैध है।

राज्य बनाम भोलू आर.आर.डी. 1987 पेज– 566

यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय बतौर किसी उचित दस्तावेजी सबूत के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अवैध आदेश से सरकारी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करता है तो न्यायलय निश्चित ही रेफरेन्स में ऐसे आदेश को निरस्त कर सकता है, इस मत को 1966 आर.आर. डी. पेज–614 में पारित निर्णय से भी बल मिलता है पैरा (5)। उक्त

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निर्णय की रोशनी में विवादित भूमि जो सरकारी भूमि दर्ज होनी चाहिए थी, को ट्रस्ट के नाम खातेदारी उप जिलाधीश गंगानगर के निर्णय द्वारा कर दी गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है, इसलिए श्रीमानजी के समक्ष निर्देश स्वीकार करने योग्य है।

10. Limitaion :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत कलेक्टर को (Reference) निर्देश करने के लिए परिसीमा की अवधि का कोई उपबन्ध नहीं है भारत सरकार बनाम दी साइटेडल फाईनेल फार्मास्युटिकल्स मद्रासए ए आई आर 1989 एससी 1771 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि परिसीमा किसी अवधि के अभाव में यह मत सुस्थापित किया है कि प्रत्येक प्राधिकारी को शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त समय अवधि में करना है युक्तियुक्त अवधि क्या होगी यह प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर होगा पैरा (22) श्रीमान न्यायलय के समक्ष जो Reference जैरकार है तथा इस Reference से सम्बन्धित कृषि भूमि रकबा राज दर्ज होनी चाहिए थी, मगर उक्त भूमि के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही Reference सक्षम न्यायालय में दायर करने बाबत पक्षकार कोई व्यक्तिगत पक्षकार न होकर राज्य सरकार है, जिसकी तरफ से Reference करने के लिए कृषि भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र के राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी ही अधिकृत हे, इसलिए सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारीयों के द्वारा कार्यवाही करने में देरी का कारण प्रकरण की उचित जानकारी न होना या व्यक्तिगत कारणों से रूची ना लेना या फिर ऐसे कर्मचारीयों/अधिकारीयों पर उक्त ट्रस्ट एवं राधेश्याम अरोडा जो लम्बे समय से विधायक मंत्री वगैरा के पदों पर नियुक्त रहा है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका प्रभाव में स्थानीय राजस्व अधिकारीयों, कर्मचारीयों पर दबाव रहा है, उक्त ट्रस्ट एवं राधेश्याम सरकार के राजस्व कर्मचारीयों –अधिकारीयों के उचित कार्यवाही समय पर न करने का कारण उसके प्रभाव का इस्तेमाल ऐसे कर्मचारीयों–अधिकारीयों पर करके उक्त भूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने से अप्रत्यक्ष तौर से रोकते रहे है तथा मौजूदा Reference जो श्रीमान न्यायालय में जैरकार है को तत्कालीन तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर , रामेश्वर जोशी ने न्यायालय में पेश किया था, तब उक्त राधेश्याम ने तत्कालीन राजस्व मंत्री से उक्त तहसीलदार रामेश्वर जोशी को धमकवाया था तथा उक्त रामेश्वर जोशी को उसी समय एपीओ कर दिया गया था, इसलिए राज्य सरकार की उक्त भूमि को जो करोडों रूपये की है, जो गंगानगर शहर से चिपती है, इस प्रकार से उक्त भूमि में सरकार एवं आम जनता का हित जुडा हुआ है, के सम्बन्ध में उचित समय पर सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही करने से सक्षम अधिकारीयों/कर्मचारीयों को अप्रत्यक्ष रूप से उक्त भूमि को हडप करने की मन्शा से उक्त राधेश्याम वगैरा रोकते रहे है, इसलिए मौजूदा निर्देश को न्यायालय में पेश करने में हुई देरी का युक्तियुक्त कारण है तथा उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि की कार्यवाहियों कपट अभिकथित है तथा लोक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिकारीया एवं प्राईवेट पक्षकारो के बीच मिली भगत के कारण सरकार को हानि हुई है, इस प्रकार से **इस प्रकरण में देरी का कारण युक्तियुक्त है**। देवमूर्ति के पुजारी द्वारा उस मूर्ति की भूमि का अवैध अन्तरण कर दिया जो शून्य था। इसे अपास्त करने के लिए 35 वर्ष बाद रेफरेन्स निर्देश किया गया जब आदेश व डिक्री शून्य हो तो विलम्ब कोई रूकावट नहीं है, राजस्व मण्डल द्वारा निर्देश स्वीकार किया गया।

रामलाल बनाम राजस्व मण्डल R.R.D.2000 पेज–74 उच्च न्यायालय

मौजूदा प्रकरण पर उक्त नजीर चस्पा होती है क्योंकि अलाटी धन्ना मेधवाल अनुसूचित जाति का सदस्य था, उस द्वारा ट्रस्ट को ट्रान्सफर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक शून्य है, तथा **धन्ना को खातेदारी अधिकारी नहीं मिले थे**, इसलिए भी **ट्रांसफर शून्य** है। इसलिए मौजूदा रेफरेन्स में देरी कोई कारण नही है।

निर्देश में 24 वर्षो की देरी कोई बाधक नहीं है यह मत राजूराम बनाम राज्य 2000 आर आर डी 89 उच्च न्यायालय तथा 1995 (1)रा.ला.रिपोर्ट 555 में प्रकट करते हुए यह कहा गया है जब डिक्री/आदेश शून्य है जब एक अनुसूचित जाति के सदस्य की जमीन में अन्य व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज कर दी , जो धारा 42 के विपरीत है, होने से आदेश शून्य है, मामला चाहे लोकहित का हो या आपसी करार का यदि धारा 42 का उल्लधंन कर भूमि का अन्तरण किया गया है तो वह अन्तरण मूलतः शून्य है जिसे अपास्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, निर्देश ग्रहण किया गया।

राजस्थान राज्य बनाम नीनुआ एवं अन्य 1995 आरआरडी 372 इसलिए स्टेट की तरफ से दायर रेफरेन्स पर मियाद का बिन्दु अप्रभावित है, निर्देश स्वीकार करने योग्य है।

11. यह कि मौजूदा रिफरेन्स को दायर करने में सीलिंग अधिनियम कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सीलिंग न्यायालय ने अपनी कार्यवाही पूर्ण कर विवादित भूमि आवंटी धन्ना को आवंटन कर दी, बाद में धन्ना मेधवाल ने उक्त ट्रस्ट को समर्पण करवा दी तथा उक्त ट्रस्ट ने उक्त समर्पण पत्र के आधार पर उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के यहां 136 एल.आर.एक्ट के तहत जरिये मिसल संख्या 39/88 आदेश दिनांक 23.05.1988 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये और उक्त भूमि का इंतकाल संख्या 143 दिनांक 26.05.1988 को तहसीलदार श्रीगंगानगर ने ट्रस्ट के नामदर्ज कर दिया। इस प्रकार से ट्रस्ट के नाम उक्त भूमि खातेदारी दर्ज हो गई बाद में उक्त ट्रस्ट ने उक्त कृषि भूमि राधेश्याम अरोडा पुत्र हरदयाल अरोडा जाति अरोडा निवासी 82 जी ब्लॉक श्रीगंगानगर को बेचान कर दी। उक्त बेचान के आधार पर जरिये इंतकाल सख्या 146 दिनांक 09.06.1989 को तहसीलदार श्रीगंगानगर ने मु.न. 54 की 12 बीघा कृषि भूमि राधेश्याम के नाम से इंतकाल दर्ज कर दिया। **इस प्रकार से रतना बनाम राज्य 1982 आरआरडी पेज– 163** खण्ड में यह मत व्यक्त किया गया है कि नामान्तरण की तस्दीक से परिसीमा की अवधि आरम्भ होगी। इस प्रकार से उप जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश एवंम आदेश के आधार पर दर्ज ट्रस्ट के नाम इन्तकाल एवंम राधेश्याम के नाम दर्ज

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

इन्तकाल व ट्रांसफर के विरूद्व संयुक्त निर्देश दिया गया है इस निर्देश के विरूद्व सीलिंग एक्ट के प्रावधान की कोई रूकावट नहीं है। क्योंकि यह निर्देश किसी भी सीलिंग न्यायलाय के आदेश के विरूद्व कोई निर्देश नहीं किया गया है।

अतः अप्रार्थी संख्या 02 की तरफ से प्रस्तुत लिखित बहस का सारांश पेश कर निवेदन है कि उक्त निर्देश स्वीकार किया जावे तथा प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर को उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

विद्वान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि रेफरेन्स अत्यधिक भारी विलम्ब 25 वर्ष बाद पेश किया गया है इसलिए रेफरेन्स मियाद बाहर होने से खारिज किया जावे । उक्त तर्क का खण्डन करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कहा है कि रेफरेन्स के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए रेफरेन्स कभी भी किया जा सकता है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2013(2) पेज 1301 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956– धारा 82– रेफरेन्स– सम्वत् 2008 से 2007 के राजस्व रेकार्ड में भूमि डोली बनाम मठ श्री महादेव जी के नाम दर्ज थी – सूजापुरी द्वारा मूर्ति मंदिर की ओर से अप्रार्थीगण के पूर्वज व अप्रार्थी सं0 7 के विरूद्व पेश किया व वाद एबेट हुआ– जब वाद लंबित है तब रेफरेन्स पोषणीय नहीं है, रेफरेन्स पोषणीय नहीं है व खारिज किया "। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में अप्रार्थी का कथन बलवती है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के पेज 1305 पैरा 17 में वर्णित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यहॉ तक कहा है कि खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् जबकि खातेदार प्रश्नगत आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तो उसकी खातेदारी को अत्यधिक विलम्ब के पश्चात् रेफरेन्स के माध्यम से चुनौति नहीं दी जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पीटिशन नं0 493/20001 लाडबाई व अन्य के प्रकरण में यह अवधारित किया है कि The power under section 232 to make reference should be used with circumpsection and within reasonable time. उक्त प्रकरण में 17 वर्ष की देरी से प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज कर दिया। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने सुनहरी बनाम स्टेट एसबी सिविल रिट पीटिशन नं0 922/2000 दिनांक 15–10–2009 जो 2010 डीएनजे(1) पेज 528 पर उद्वत हुआ है, में भी 17 वर्ष की देरी से प्रस्तुत रेफरेन्स को विलम्ब को असाधारण माना है। इसी कम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 2002(1) आर आर टी पेज 410 एसबी सिविल रिट पीटिशन नं0 1206/1990 मूर्ति मंदिर श्री नियाम जी बनाम राजस्थान राज्य एवं डब्ल्यूएलसी 2009(3) पेज 258 एसबी सिविल रिट पीटिशन नं0 3114/95 बाबूसिंह बनाम राजस्व मण्डल अवलोकननीय है, जिसमें असाधारण देरी से दायर रेफरेन्स को अविधिक माना है।

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2014 (1) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 387 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 82–रेफरेन्स–परिसीमा– भूमि कय करने के 35 वर्ष बाद रेफरेन्स किया– परिसीमा विहित नहीं है लेकिन युक्तियुक्त

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

समय में रेफरेन्स करना चाहिये – कपट अथवा दुर्व्यपदेशन का आरोप नहीं – निर्णीत, भारी विलम्ब के बाद रेफरेन्स स्वीकार करने में राजस्व मण्डल ने गम्भीर त्रुटि की है "।

इसी प्रकार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूएलसी (राज0) 1996(2) पेज 36 में यह मत व्यक्त किया है कि :–

" The additional Collector as well as Board of Revenue could not have exercise the power confirmed upon them under sec. 82 of the Act of 1956 and under sec. 232 Rajasthan Tenancy Act after a period of 25 years."

इसी प्रकार, मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर ने आर आर टी 2016(1) पेज 288 न्यायिक दृष्टान्त में मत व्यक्त किया है कि :–

" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 232 – राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 82 – रेफरेन्स के लिए समय सीमा प्रदत्त नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी समय शक्ति का उपयोग किया जा सकता है – निर्णीत, दीर्घ विलम्ब के बाद पेश करने से रेफरेन्स खारिज होने योग्य है " । उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा रेफरेन्स अत्यधिक विलम्ब 19 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किये जाने के कारण स्वीकार योग्य नहीं माना है।

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निम्न निर्णयों में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अर्सा 9 साल उपरांत न्यायालय रेफरेन्स नहीं कर सकती। न्यायिक दृष्टान्त निम्नानुसार है :–

1. 2016(1) आर आर टी पेज 288
2. 2016(2) आर आर टी पेज 810
3. 2012 आर आर डी पेज सं0 131
4. 1996 आर आर डी पेज सं0 170 (मा0 उ0 न्यायालय)
5. 2000 आर आर डी पेज सं0 52 (मा0 उ0 न्यायालय)
6. 2006 आर बी जे पेज सं0 521
7. ऐ आई आर 1956 पेज 154 (मा0 रा0 उ0 न्यायालय)
8. डी0एन0जे02005 पेज 163

हस्तगत रेफरेन्स स्टेट द्वारा 27–28 वर्ष के अत्यधिक भारी विलम्ब से दायर किया गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में विलम्ब असाधारण है।

राजस्थन भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है : –

Power to call for record and proceeding and reference to state Government or Board.

प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थी द्वारा भू– राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ हों, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है।

हस्तगत रेफरेन्स में सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय को रेफरेन्स का आधार बनाया गया है। सीलिंग नियम के अन्तर्गत जो निर्णय होता है, वह एक विशेष अधिनियम के अन्तर्गत होता है और विशेष डेजीगनेटड पोस्ट पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार विशेष आदेश से करती है,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऐसे अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय जिलाधीश के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर आर डी 1981 पेज 137 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है।

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2016 डीएनजे (राजस्व) पेज 251 में प्रतिपादित किया गया है कि :–

" राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 82– सीलिंग कार्यवाही को ड्रोप करने के आदेश को अपास्त करने हेतु रेफरेन्स – प्राधिकृत अधिकारी नामोदिष्ट अधिकारी है और वह कलक्टर/अति0 कलक्टर के अधीन नहीं है– रेफरेन्स सक्षम नहीं है – निर्णीत , रेफरेन्स बिना क्षेत्राधिकारिता के है व अपास्त किया "।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि **पूर्व में प्रस्तुत रेफरेन्स को जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, अतः उन्हीं आधारों पर पुनः रेफरेन्स नहीं किया जा सकता है जैसा कि पूर्व के न्याय के सिद्वान्तों में विहित किया गया है ।**

इस तर्क के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि रेफरेन्स मिसल नं0 80/96 धन्नाराम मृतक के वारिसान बनाम मुवाशीनाथ ट्रस्ट में तत्कालीन जिला कलक्टर, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 4–9–2000 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया गया था।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जाने के उपरांत रेफरेन्स की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपने इस तर्क के समर्थन में 2011–12 (Supp.) आर आर टी 690 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 82 – आवंटन को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स – विलम्ब – बेरी कमीशन ने आवंटन को अवैध माना – भूमि का आवंटन वर्ष 1958व 1966 में किया – एक आदेश द्वारा 13 आवंटनों को खारिज करना विधिक तौर पर न्याय संगत नहीं है – रेफरेन्स पोषणीय नहीं है – रेफरेन्स के जरिये खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती – असाधारण विलम्ब भी घातक है – निर्णीत , रेफरेन्स खारिज होने योग्य है।

हस्तगत रेफरेन्स प्रकरण में विवादित भूमि का बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट खातेदार था। राधेश्याम पुत्र हरदयाल जाति अरोडा को जिलाधीश महोदय की स्वीकृति दिनांक 14.03.1989 को होने के बाद जरिये विक्रय पत्र उसने जमीन खरीद की है,। धन्नाराम के वारिसान अथवा स्टेट द्वारा कभी कोई चुनौती अप्रार्थी के पक्ष में तस्दीक बैयनामा को सक्षम सिविल न्यायालय में नहीं दी है क्योंकि रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामा को धारा 31 स्पैशिफिक रिलीफ एक्ट के अधीन सक्षम न्यायालय में ही चुनौति दी जा सकती थी।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी पाया गया कि इसी भूमि के संबंध में एक वाद अन्तर्गत धारा 175 आर टी एक्ट, वाद सं0 27/84 सरकार बनाम धन्नाराम वगैरा में उप खण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 26–6–84 को निर्णय पारित कर, स्टेट का वाद खारिज कर दिया गया। **इसी निर्णय के विरूद्व जिला कलक्टर, श्री गंगानगर के न्यायालय में दायर रेफरेन्स सं0 80/96 में दिनांक 4–9–2000 को निर्णय पारित कर, रेफरेन्स खारिज किया गया था।**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभिलेख के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अप्रार्थी के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा एक प्रकरण सं0 124/2010 अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत किया गया, जिसका निर्णय दिनांक 24–4–12 को किया गया है, जिसके द्वारा स्टेट का वाद खारिज किया गया। इसी मुरब्बा की शेष 13 बीघा भूमि के सम्बन्ध में एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र 03/2011 अनवानी तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर बनाम श्री रिद्वि सिद्वि होम डवलपर्स प्रा0 लि0 ज़रिये डायरेक्टर सुरेशशाह पुत्र शिवप्रसाद ज़ाति अग्रवाल निवासी 3 आई 9 जवाहरनगर श्रीगंगानगर इसी न्यायालय में बाद विचारण निर्णित होकर इन्ही आधारो पर खारिज किया जा चुका है।

विवादित भूमि अप्रार्थी राधेश्याम द्वारा खरीद किये जाने के बाद समस्त कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण कर धारा 90 क आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी के यहां भू–रूपान्तरण हेतु आवेदन विचाराधीन है। पत्रावली पर एक प्रकरण संख्या 124/2010 द्वावा अन्तर्गत धारा 177 आरटी एक्ट निर्णय दिनांक 24.04.2012 है जो वादी स्टेट जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर बनाम राधेश्याम पुत्र हरदयाल का है जो खारिज किया गया। इस दावे में स्टेट की ओर से इस रेफरेन्स के अधीन वाली भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग किया जाना बताया और तब इस भूमि के सम्बन्ध में रूपान्तरण की कार्यवाही संस्थित की जानी इंगित हुई है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करने वाले तहसीलदार श्री रामेश्वर लाल जोशी के विरूद्व एक शिकायत राधेश्याम (अप्रार्थी संख्या 1) ने इस वाद के दायरा एवं रिसीवर के सम्बन्ध में की थी जिसकी जांच अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा की जाकर जांच प्रतिवेदन उनके पत्रांक :संस्था/11/435 दिनांक 5.05.2011 द्वारा उक्त राजस्व मण्डल राजस्थन अजमेर को प्रेषित की गई जिसमें में भी तहसीलदार की कार्यवाही को सदभाविक होना नहीं बताया गया। इस विवादित भूमि का भू–रूपान्तरण के मकसद से Lay-out प्लान नगर नियोजन विभाग से अनुमोदित करवाया जाना अभिलेख पर है। इस बाबत अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से यू.आई.टी. श्रीगंगानगर में आवेदन करने पर यू.आई.टी. के रिमाण्ड पर दिनांक 02.12.2010 को राशि 3036246/– जमा करवाये गएं एवं लगभग सभी औपचारिकताऐं पूर्ण की गई।

इस प्रकार, उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मेरे विन्रम मत में, स्टेट द्वारा रेफरेन्स अत्यधिक भारी विलम्ब 25 वर्ष के बाद प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब असाधारण है। अतः स्टेट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स असद्वभाविक एवं अत्यधिक विलम्ब से पेश होने से, मियाद बाहर होने के कारण, बिना विधिक अधिकारिता के तथा बिना विधिक आधारों पर एवं रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त के आलोक में प्रस्तुत किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः स्टेट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, श्री गंगानगर को प्रेषित की जावे। आदेश की दो प्रतियॉ मय रेकार्ड विधि प्रकोष्ठ को विधि परीक्षण हेतु भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 12.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/2/18

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर